न्यायालय भुमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

विविध वाद सं0–74 / 2017

वन क्षेत्र पदाधिकारी, कुन्दा बनाम रामविलास यादव

आदेश की क्रम एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
23/12/2020	अचंल अधिकारी, कुन्दा का पत्रांक–58, दिनांक–05.05.2017 द्वारा ग्राम–डोकवा, थाना संख्या–238 के अन्तर्गत खाता संख्या–01, प्लॉट संख्या–07, रकवा–8.20 एकड़ एवं प्लॉट संख्या–04 रकवा–1.80 एकड़ कुल रकवा–10.00 एकड़ भूमि का चल रहे अवैध जमाबंदी को रद्द करने हेतु विविध वाद संख्या–02 / 17–18 से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराया गया है। तदनुसार यह वाद न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा में प्रारम्भ किया गया। उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा द्वारा संबंधित पक्षों को मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। संबंधित पक्षों द्वारा न्यायालय में अपने–अपने पक्ष में लिखित बहस समर्पित किया गया। अंचल अधिकारी, कुन्दा के आदेश पत्रक में उल्लेखित है कि विविध वाद संख्या–02 / 07–08 आवेदक वन क्षेत्र पदाधिकारी, कुन्दा के पत्रांक–117 दिनांक–12.04.2017 के द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया गया कि ग्राम–डोकवा थाना नं0–238 के अंतर्गत खाता संख्या–01 प्लॉट संख्या–7, 4 दोनो कुल रकवा–10.00 एकड़ का जमाबंदी रा0कर्म0 के द्वारा अवैध ढंग से जमाबंदी कायम कर फर्जी तरिके से रसीद निर्गत कर दिया गया जो वन भूमि है उक्त भूमि जमाबंदी रद्द करने की कृपा की जाय। उक्त आवेदन को ह0रा0कर्म सह अंचल निरीक्षक के माध्यम से राजस्व कागजातों की जॉच कराई गई हल्का कर्मचारी के जॉच प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न हैं। हल्का कर्मचारी के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर जमाबंदी रैयत विलास यादव पिता–स्व0 सरयु यादव ग्राम–डोकवा को खाता संख्या–01 प्लॉट संख्या–7 एवं 4 दोनों कुल रकवा–10.00 एकड़ से संबंधित निर्गत की गई रसीद से संबंधित मूल कागजात का मांग किया गया परंतु श्री यादव द्वारा ना तो कार्यालय में उपस्थित हो कर अपनी भूमि का कोई दावा या मूल कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। संबंधित अंचल सहायक से विविध वाद संख्या–02 / 07–08 अभिलेख एवं पंजी खोज कराई गई प्रतिवेदन प्राप्त	

हुआ कि कार्यालय में उपलब्ध नहीं है इस प्रकार इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उक्त खाता एवं प्लॉट कि भूमि वन सीमा के अंदर है इस रद्द करने हेतु अनुशंसा की जाती है।

अंचल अधिकारी, कुन्दा से प्राप्त अभिलेख में संलग्न राजस्व **कर्मचारी का प्रतिवेदन के अनुसार**– ग्राम–डोकवा थाना नं0–238 के अंतर्गत खाता संख्या–01 सर्वे खतियान में **गैरमजरूआ खास** खतियान में दर्ज है। प्लॉट संख्या–07 रकवा–42.00 एवं प्लॉट संख्या–04 रकवा–39.70 एकड़ सर्वे **खतियान में जंगल दर्ज** है। पंजी–II के पृष्ठ सख्या–121 भो0–I में विलास यादव पिता–स्व0 सरयू यादव के नाम से रसीद प्रथम दिनांक–12.04.2008 रसीद नं0–3216908, 2008–09 में निर्गत हुआ है एवं अंतिम रसीद नं0–3871186, 2012–13 में निर्गत किया गया है। पंजी–II के प्रविष्टि के लिए प्रधिकार कॉलम में विविध वाद संख्या–02/07–08 के आदेशानुसार अंचल अधिकारी के पत्रांक–08, दिनांक–26.09.2007 के आदेशानुसार निर्गत किया गया है। स्थल पर जॉच किया उक्त प्लॉट का कच्चा मकान बना हुआ था जिसको खाली करा दिया गया है। चूँकि वन क्षेत्र पदाधिकारी, कुन्दा के द्वारा प्रस्तुत नक्शा के आधार पर वन भूमि है।

प्रथम पक्ष रेंज ऑफिसर, कुन्दा के विज्ञ अधिवक्ता ने अपने लिखित अभिकथन में उल्लेखित किया है कि अंचल अधिकारी, कुन्दा द्वारा पारित आदेश सही है। जब विपक्षी रामविलास यादव द्वारा वन विभाग का अधिसूचित भूमि का फर्जी कागज एवं चल रहे जमाबंदी के आधार पर दावा करने लगे तब रेंज ऑफिसर, कुन्दा द्वारा अवैध डिमाण्ड को रद्द करने हेतु अंचल अधिकारी, कुन्दा के समक्ष आवेदन समर्पित किया गया। अंचल अधिकारी, कुन्दा द्वारा कागजात देखने के पश्चात्, रामविलास यादव का जमाबंदी संदेहास्पद पाया गया। तत्पश्चात् अंचल अधिकारी, कुन्दा द्वारा विपक्षी रामविलास यादव का डिमाण्ड रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ भेजा गया है। विपक्षी द्वारा खाता संख्या–01 प्लॉट संख्या–04 एवं 07 रकवा–10.00 एकड़ भूमि पर दावा पूर्व जमीन्दार से उनके माता के नाम से वर्ष–1942 में प्राप्त **सादा हुकुमनामा** के आधार पर किया जा रहा है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत रसीद फर्जी एवं बिना वन विभाग के जानकारी से प्राप्त किया गया है। विपक्षी द्वारा स्वीकार किया गया है कि प्रश्नगत भूमि वन सीमा के अंदर था। विपक्षी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि प्रश्नगत भूमि बंदोबस्त पदाधिकारी, हजारीबाग का वाद सख्या–93/62–63 द्वारा प्राप्त किया गया है। परंतु विपक्षी द्वारा वाद से संबंधित कोई नोटिस अथवा भूमि प्राप्त होने संबंधी नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह भी अंकित करना प्रसांगिक है कि वर्ष 1962–63 में ग्राम–डोकवा चतरा वन प्रमण्ड के अंतर्गत था ना कि हजारीबाग वन प्रमण्डल के अंतर्गत। अतः विपक्षी द्वारा प्रस्तुत भुमि निर्गत संबंधी कागजात फर्जी है तथा वन प्रमण्डल चतरा के लिए लागु नहीं

होता हैं। इसके अलावे प्रश्नगत भूमि माननीय राज्यपाल द्वार अधिसूचित किया गया है तथा अधिसूचना के पश्चात् भूमि वन संरक्षण में हैं। अवैध जमाबंदी जब भी संज्ञान आये तो उसे रद्द करना नियम संगत हैं। विपक्षी रामविलास यादव द्वारा अतिक्रमण किया गया तब रेंज ऑफिसर, हंटरगंज आवश्यक कदम उठाये है। अंचल अधिकारी, कुन्दा द्वारा किया गया अनुशंसा सही है। प्रथम पक्ष द्वारा अंचल अधिकारी, कुन्दा का अनुशंसा स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि यह वाद Bihar Land Reforms and Record Maintainable Act 1973 के तहत् पोषणीय है। यह आवेदन अंचल अधिकारी, कुन्दा के विविध वाद संख्या–74/2017 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। अंचल अधिकारी, कुन्दा द्वारा विपक्षी का जमाबंदी रद्द करने हेतु किया गया आदेश एवं अनुशंसा नियमसंगत नहीं है। मौजा–डोकवा, थाना संख्या–238, थाना–कुन्दा, जिला–चतरा का खाता संख्या–01 प्लॉट संख्या–04 रकवा–12.22 एकड़ मधे 1.80 एकड़ खाता संख्या–01 प्लॉट संख्या–07 रकवा–8.20 एकड़ कुल रकवा–10.00 एकड़ भूमि का रामविलास यादव के नाम से चल रहे लंबी जमाबंदी को अस्वीकृत करना नियम विरूद्ध है। यह है कि आवेदक के पिता–सरयू महतो द्वारा कुन्दा के पूर्व जमीन्दार को भूमि बंदोबस्त करने हेतु अनुरोध किया गया। सरयू महतो के अनुरोध पर पूर्व जमीन्दार द्वारा भूमि पर दखल कब्जा देखते हुए सरयु महतो की पत्नी धनेश्वरी ग्वालिन के नाम से मौजा–डोकवा, थाना संख्या–238, थाना–कुन्दा, जिला–चतरा का खाता संख्या–01 प्लॉट संख्या–04 रकवा–12.22 एकड़ मधे 1.80 एकड़ खाता संख्या–01 प्लॉट संख्या–07 रकवा–8.20 एकड़ कुल रकवा–10.00 एकड़ भूमि वर्ष 1942 दिनांक–23.10.1942 को सादा हुकुमनामा के माध्यम से प्रदान किया गया। यह है कि पूर्व जमीन्दार का जमीन्दारी सेरिस्ता में सरयू यादव की पत्नी धनेश्वरी ग्वालिन के नाम से जमाबंदी कायम किया गया तथा 10.00 एकड़ भूमि के लिए जमीन्दारी रसीद प्राप्त किया। धनेश्वरी ग्वालिन द्वारा उक्त भूमि पर काबिज रहते हुए वर्षो तक विभिन्न फसल जैसे कि मक्का, चना, अरहर, गेहूँ आदि विना किसी आपति के उपजाते रहे है। जमीन्दारी उन्मूलन के बाद धनेश्वरी ग्वालिन के नाम से सरकारी रसीद भी निर्गत किया गया। यह भी उल्लेखित करना है कि धनेश्वरी ग्वालिन अपने पुरे जीवन काल में भूमि पर काबिज रहकर रसीद प्राप्त किये है। धनेश्वरी ग्वालिन इकलौते पुत्र रामविलास यादव अपने माता पिता के मृत्यु के उपरांत भूमि पर फसल शांति पूर्वक कृषि कार्य करते रहे है। यह अंकित करना प्रासंगिक होगा कि आवेदक की माता धनेश्वरी ग्वालिन द्वारा खाता संख्या–01 प्लॉट संख्या–07 रकवा–8.20 एकड़ एवं प्लॉट संख्या–04 रकवा–1.80 एकड़ कुल रकवा–10.00 एकड़ भूमि को

जंगल सीमा से मुक्त करने हेतु आवेदन दिया गया था। विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा यह भी उल्लेखित किया गया है कि धनेश्वरी ग्वालिन द्वारा भूमि को वन सीमा के अंदर सीमांकन होने के पूर्व तक शांतिपूर्वक कृषि कार्य करते रहे है। धनेश्वरी ग्वालिन द्वारा बंदोबस्त पदाधिकारी, हजारीबाग के समक्ष अपने दावा के समर्थन में मौखिक गवाह तथा कागजात प्रस्तुत किया गया था जबकि वन विभाग द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित कोई कागजात/अधिसूचना प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रश्नगत भूमि से संबंधित कागजात, साक्ष्य एवं शांतिपूर्ण दखल को देखते हुए दिनांक–27.06.1964 को धनेश्वरी ग्वालिन के पक्ष में आदेश पारित किया गया। इस प्रकार वन पदाधिकारी, कुन्दा एवं वन विभाग का दावा खारिज करने योग्य है। यह है कि वन विभाग, कुन्दा द्वारा अनावश्यक रूप से आवेदक को परेशान किया जा रहा है तथा प्रश्नगत भूमि के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। वन विभाग, कुन्दा को पुनः उसी विषय के संबंध में दावा करने का अधिकार नहीं है। आवेदक द्वारा यह भी उल्लेखित किया गया है कि अंचल अधिकारी, कुन्दा ने पूर्व में वन बंदोबस्त पदाधिकारी, हजारीबाग द्वारा पारित आदेश को नजरअंदाज किया गया है। अंचल अधिकारी, कुन्दा द्वारा पारित आदेश नियम विरूद्ध है। यह भी अंकित करना प्रासंगिक है कि अचंल अधिकारी, कुन्दा द्वारा स्थल जांच किये बिना ही आदेश पारित कर दिया गया है। यह है कि लंबे समय से चल रहे जमाबंदी को संक्षिप्त कार्यवाही के माध्यम से रद्द नहीं किया जा सकता है। अंचल अधिकारी, कुन्दा बिना दोनों पक्षों के सुनवाई किये जमाबंदी रद्द करने का अनुशंसा करने का अधिकार नहीं है। अंचल अधिकारी, कुन्दा द्वारा पारित आदेश एवं विन विभाग का दावा को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, कुन्दा के आदेश पत्रक में उल्लेखित है कि विविध वाद संख्या–02/07–08 आवेदक वन क्षेत्र पदाधिकारी, कुन्दा के पत्रांक–117 दिनांक–12.04.2017 के द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया गया कि ग्राम–डोकवा थाना नं0–238 के अंतर्गत खाता संख्या–01 प्लॉट संख्या–7, 4 दोनो कुल रकवा–10.00 एकड का जमाबंदी रा0कर्म0 के द्वारा अवैध ढंग से जमाबंदी कायम कर फर्जी तरिके से रसीद निर्गत कर दिया गया जो वन भूमि है उक्त भूमि जमाबंदी रद्द करने की कृपा की जाय। उक्त आवेदन को ह0रा0कर्म सह अंचल निरीक्षक के माध्यम से राजस्व कागजातों की जॉच कराई गई हल्का कर्मचारी के जॉच प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न हैं। हल्का कर्मचारी के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर जमाबंदी रैयत विलास यादव पिता–स्व0 सरयु यादव ग्राम–डोकवा को खाता संख्या–01 प्लॉट संख्या–7 एवं 4 दोनों कुल रकवा–10.00 एकड़ से संबंधित निर्गत की गई रसीद से संबंधित मूल कागजात का मांग किया गया परंतु श्री यादव द्वारा ना तो कार्यालय में उपस्थित हो कर अपनी भूमि का कोई दावा या मूल कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। संबंधित अंचल सहायक से विविध वाद

संख्या–02/07–08 अभिलेख एवं पंजी खोज कराई गई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ कि कार्यालय में उपलब्ध नहीं है इस प्रकार इस निष्कर्श पर पहुँचता है कि उक्ता खाता एवं प्लॉट कि भूमि वन सीमा के अंदर है इस रद्द करने हेतु अनुशंसा की जाती है।

उपरोक्त तथ्यों से निम्नांकित मुख्य बिन्दु परिलक्षित होते हैः–

- **गैरमजरूआ खास जगीन का मामला।**
- **खतियान में जंगल दर्ज का मामला।**

1. **गैरमजरूआ खास जमीन का मामलाः–** अंचल अधिकारी, कुन्दा से प्राप्त अभिलेख में सलग्न **कर्मचारी का प्रतिवेदन के अनुसार–** ग्राम–डोकवा थाना नं0–238 के अंतर्गत खाता सख्या–01 सर्वे खतियान में **गैरमजरूआ खास** खतियान में दर्ज है।

2. **खतियान में जंगल दर्ज का मामलाः–** अंचल अधिकारी, कुन्दा से प्राप्त अभिलेख में सलग्न **कर्मचारी का प्रतिवेदन के अनुसार–** प्लॉट संख्या–07 रकवा–42.00 एवं प्लॉट संख्या–04 रकवा–39.70 एकड़ सर्वे **खतियान में जंगल दर्ज** है।

संबंधित वाद में महत्वपूर्ण बिन्दु :–

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–06/भूमि का नियमितीकरण–89/2020/**1704/रा0, दिनांक–15.07.2020 पारा 9 के कंडिका (vii)** में अंकित है कि– " खतियान में जंगल, जंगल–झाड़ी इंद्राज के मामलों में T.N Godavarman Thirmulpad Vs Union of India 1995 " में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–8–78/1996–FC (pt) dated- 10th March, 2015 के आलोक में इस प्रकार की जमाबंदियों की समीक्षा की जाय एवं तदोपरांत बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4 (h) के अंतर्गत जमाबंदी रद्द करने हेतु प्रारंभ की गई कार्यवाही से संबंधित अभिलेख में संतुष्ट होकर आदेश पारित किया जाय।"

अभिलेख में उपलब्ध सारे कागजातों के आधार पर राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा निर्गत समय–समय पर

निर्गत संकल्प एवं दिशा निर्देश के आलोक में अभिलेख बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 के अंतर्गत 4 (H) के तहत् संधारित करते हुए नियमानुसार/विधिसम्मत् संतुष्ट होकर आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

संबंधित अभिलेख एवं आदेश की प्रति अग्रेतर कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी, कुन्दा को भेजें।

वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

(लेखापित एवं संशोधित)

23/12/2020

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

23/12/2020

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

Digitally signed by GOURANG MAHATO
Date: 2022.12.26 21:40:56 -08:00
Location: 2409:4064:229a:40cc:4813:47ca:9b65:19dc